Collection from employees provident fund

2266. SHRI SYED SIBTEY RAZI: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) what was the collection regionwise from employees provident fund during the last three years;

(b) whether it is a fact that there are a large number of defaulters from whom the collection is outstanding during the last three financial years;

(c) if so, the details thereof, regionwise; and

(d) what steps Government have taken so far and propose to take to recover these outstanding dues?

THE MINISTER OF LABOUR AND WELFARE (SHRI RAM VILAS PASWAN): (a) The details of provident fund cintributions collected region-wise from the exempted and un-exempted establishments during the last three years are not readily available. However, the total collction of contributione from exempted as well as unexempted establishments during the last three years are as given bellow:—

Year	Amount of contributions collected Rs. in crores)
1986-87 . . .	1794.51
1987-88 . . .	2001.95
1988-89 . . .	2424.61

(b) Yes, Sir.

(c) A statement showing the regionwise details of arrears against the exempted and unexempted establishments is attached. (*See Appendix* CL III, Annexure No. 95).

(d) The E.P.F. authorities have been taking the following actions against the defaulters for realisation of the outstanding dues:—

(i) Issue of revenue recovery certificates under section 8 of the E.P.F. Act;

(ii) Filing of prosecution cases under section 14 of the E.P.F. Act.

(iii) Filling of complaints under section 406|409 IPC in cases of non-paymen of contribution deducted from the wages of the employees;

(iv) Levying damages under section 14B of the E.P.F. Act.

Compensation to victims of trains accidents

2267. SHRI SYED SIBTEY RAZI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether some rules exist for payment of compensation to victims of train accidents;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether payment of such compensation are given to those ticket holders who hold tickets with reservation;

(d) whether such payment is also made to those who hold general railway tickets;

(e) whether such payment is also made to the victims of stempede holding platform tickets; and

(f) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) and (b) Railway is liable to pay compensation to the injured passengers and dependants of the deceased travelling in a passenger carrying train involved in an accident, under the provisions of Section 82 A of the Indian Railways Act, 1890. Claimants can prefer an application for compensation before the Railway Claims Tribunal under the provisions of the Railway Accidents (Compensation) Rules, 1989. An amount of Rs. 1 lakh in case of death and varying from Rs. 20,000 to Rs. 1 lakh in case of injuries can be awarded as compensation.

(c) and (d) Yes, Sir.

(e) No, Sir.

(f) Victims of stampede are not eligible as they are not passengers travelling on a passenger carrying train which meets with an accident, as per the provisions of the Indian Raiways Act, 1890.

2268. [*Transferred to the 29th March*, 1990].

"इफको" के प्रबन्धनिदेशक के विरुद्ध आरोप

2269. **श्री राम नरेश यादव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कतिपय अधिक धनराशि का भुगतान करने के संबंध में इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक पर आरोप लगाए गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने उन आरोपों की सत्यता का पता लगाने के लिए इस मामले की कोई जांच की है, और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

उपप्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) से (ग) भूतपूर्व प्रबन्ध निदेशक के कार्यकाल में आंवला परियोजना के निष्पादन में 153.27 लाख रुपये के भुगतान संबंधी अनियमितताओं को इफको की एक आन्तरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में दर्शाया गया है। इस मामले की विस्तार से जांच करने के लिए गठित समिति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिस पर इफको के "बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स" ने विचार किया है। बोर्ड ने लापरवाही के आरोप में प्रारम्भिक रूप से दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा एक जांच अधिकारी की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। बोर्ड के निर्देशानुसार कुछ अधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया है जबकि कुछ को आरोप-पत्र जारी कर दिए गए हैं। एक जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है, तथा जांच चल रही है।

छोटे और सीमान्त किसान

2270. **श्री राम नरेश यादव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में बड़ी संख्या में छोटे और सीमान्त किसान हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इनमें से अधिकांश किसान गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकार के किसानों की संख्या का अनुमान लगाया है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इन किसानों के लिए अगले तीन वर्षों हेतु क्या विकास संबंधी योजनायें आरम्भ की हैं और उनमें से कितने किसान इस अवधि के बाद गरीबी की रेखा को पार कर जायेंगे ?

उपप्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) छोटे एवं सीमान्त किसानों के लिए अलग से ऐसे कोई सांख्यिकी आंकड़े एकत्रित नहीं किए जाते।

(घ) छोटे एवं सीमान्त किसानों के विकास हेतु निम्नलिखित केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अगले तीन वर्षों तक जारी रहने की संभावना है :—

(1) विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के लिए चुने गए राज्यों में छोटे एवं सीमान्त किसानों की जोतों में उथले नल-कूपों तथा खोदे गये कुंओं के निर्माण के जरिए कृषि उत्पादन में वृद्धि करने हेतु छोटे एवं सीमान्त किसानों को सहायता देना।

(2) कृषक कृषि-सेवा केन्द्रों की स्थापना करना तथा बीज रोपण एवं पौधरोपण मशीनों की शुरुआत करना एवं इन्हें अपनाना।